Concerned to Website

महत्वपूर्ण

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

कमांक ई-13/04/2020/5/एक

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी, 2020

प्रति,

शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर।

विषय :- अधिकारियों द्वारा शासकीय कार्य से की गई विदेश यात्रा से लौटने पर यात्रा का प्रतिवेदन प्रशासकीय विभाग को प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

--

शासकीय सेवकों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों से की जाने वाली विदेश यात्राओं के प्रस्तावों पर सक्षम स्वीकृति की प्रकिया के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय (दिनांक 18.06.2002, 02.07.2002, 19.11.2008 एवं 14.09.2016) पर निर्देश जारी किये गये हैं।

2/ उपरोक्त के अनुकम में निर्देशानुसार अवगत कराया जाता है कि अधिकारियों द्वारा शासकीय कार्य से की गई विदेश यात्रा से लौटने के उपरांत 15 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से यात्रा का प्रतिवेदन अपने प्रशासकीय विभाग को प्रस्तुत किया जाए। समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव उपरोक्त निर्देशों का पालन कृपया सुनिश्चित करें एवं अन्यथा की स्थिति में इस विभाग को अवगत कराया जाये।

3/ कृपया शासन के उपर्युक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

(दीप्ति गौड़ मुकर्जी)
प्रमुख सचिव "कार्मिक"
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पत्र 1415 /PS/UD & H/20.....2020
दिनांक 12.2.2020

SECY.

Comm UD

Staff off
to all officers

Comm H.D
Comm UAD / secy
ENC - UAD
Dir (T&CP)
CEO Smart City
CEO BDA

संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
आवक क्र. 1696
दिनांक 14/02/2020
शाखा
संयु. संचा. (स्था.) संचालक

JD-E

13/02/2020

AITO

23/2

14/2/2020

Scanned with CamScanner